

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4154]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 22, 2018/आश्विन 30, 1940

No. 4154]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 22, 2018/ASVINA 30, 1940

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर, 2018

का. आ. 5345(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ.3615(अ), तारीख 24 जुलाई, 2018 को प्रकाशित की गई थी, में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:

1. उक्त अधिसूचना की अनुसूची में शब्द 'तालुक' को 'तालुका' पढ़ा जाए.
2. उक्त अधिसूचना की अनुसूची में शब्द 'मलकपुर' को 'मलकापुर' पढ़ा जाए.
3. उक्त अधिसूचना की अनुसूची में शब्द 'नन्दुरा' को 'नांदुरा' पढ़ा जाए.
4. उक्त अधिसूचना की अनुसूची में 'तालुक का नाम: मलकपुर', की सूची में अनुक्रमित 'गांव का नाम: धानोरा' को 'तालुक का नाम: नन्दुरा' की सूची में पढ़ा जाए, अंतः स्थापित किए जाएंगे.

[फा. सं. NHAI/PIU/AMT/ADJ/LA/2010/3A1 Corr.]

राजेश गुप्ता, उप-सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi the, 15 th October, 2018

S.O 5345(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, Number S.O. 3615 E), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, Sub-section (ii), dated the 24th July, 2018, namely :-

1. In the schedule to the said notification word `Taluk` may be read as `Taluka`.
2. In the schedule to the said notification word `Malkapur` may be read as `Malkapur`.
3. In the schedule to the said notification word `Nandura` may be read as `Nandura`.
4. In the schedule to the said notification `Village: Dhanora` enlisted under `Taluk: Malkapur`, may be read under the list of `Taluk: Nandura`

[F. No. NHAI/PIU/AMT/ADJ/LA/2010/3A1 Corr.]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.